
**₄**'उत्तर रेलवे NORTHERN RAILWAY प्रधान कावालय. वडाँदा हाउस. नई दिल्ली। म्०क्र0सं० 13500/80 u. 4 561-E/V CPC/97/Pt.X सभा भ्रथ विभागाध्यक समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक एव आंतरिक्त मण्डल कार्यालय (भानक सूची क अनुसार) विषय - Stepping up of pay of Head Clerk at par with Senior Cierks in receipt of special pay of Rs. 70/p.m. who an recommendation of Fifth CPC were upgraded as Head Clerks and placed in the same scale of Hs 5000-8000 w.e.f. 01 61 96. रेल मन्नालय क पन व PG-V/99/4/8/1 दिनाक 19/2/2008 (आर बी इं स 37/2008) क्र.स. पी.सी पाउक की प्रतिलिपि सवना एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रीपेत की जा रही है। इसने उल्लिखित रेल मनास्थ के पत्र दिनाक 17/8/98 की प्रतिलिपि म्oकoसंo 11466/97PC V/७० के अन्तेमत मेजी जा चूकी हैं। पत्र का हिन्दी अनुवाद मी साथ में मेजा जा रहा है! कृपया इस पत्र की पावली अवस्य भेजी। सल्बन/यसावल कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक प्रतिलिप -1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्रका बड़ीवा हाउस. नई दिल्ली। 2. महासचिव, एनआएएमयू, 12 चेन्याजी रोज नयी दिल्ली 3 महासाच्य अ० मा० अ० जा०/अ० जा० रहा कर्मचारी समदन सी-16 क रेलवे कालोनी लाजपतनगर, नईदिल्ली-24 4. महासचिव: अ०५०अ०पि०व० एक कर्मधारी अगवन १७१/५ ३ वसंत लेन नई दिल्ली।



where a senior proceeds on extra ordinary leave which results in postponement of date of next increment in the lower post, consequently he starts drawing less pay than his junior in the lower grade itself. He, therefore, cannot claim pay parity on promotion; where the employee has been promoted to the post of Head Clerk against quota reserved for SC/ST/OBC/Sports etc. even before becoming eligible for the identified post carrying special pay; where junior gets more pay due to additional increments earned on acquiring higher qualifications or on sports account; and where a senior was appointed later than the junior in the lower post itself whereby he is in receipt of lesser pay than the junior, in such cases also senior cannot claim parity in the higher post though he may have been promoted earlier to the higher post. Hindi version is enclosed. (N.P. Singh) Deputy Director, Pay Commission-V Railway Board No. PC-V/99/I/6/1 New Delhi, dated) 9 .02.2009 Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi. For Financial Commissioner, Railways No. PC-V/99/I/6/1 New Delhi, dated 19.02.2009 Copy forwarded to :-1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares) 2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares) 3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares) 4) The Secretary General FROA 5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association 6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association 7) The Secretary General, IRPOF 8) The Secretary General, All India RPF Association 9) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association 10) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association 11) Railway Board Promottee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan. for Secretary, Railway Board

where a senior proceeds on extra ordinary leave which results in postponement of date of next increment in the lower post, consequently he starts drawing less pay than his junior in the lower grade itself. He, therefore, cannot claim pay parity on promotion; where the employee has been promoted to the post of Head Clerk against quota reserved for SC/ST/OBC/Sports etc. even before becoming eligible for the identified post carrying special pay; where junior gets more pay due to additional increments earned on acquiring higher qualifications or on sports account; and where a senior was appointed later than the junior in the lower post itself whereby he is in receipt of lesser pay than the junior, in such cases also senior cannot claim parity in the higher post though he may have been promoted earlier to the higher post. Hindi version is enclosed. (N.P. Singh) Deputy Director, Pay Commission-V Railway Board No. PC-V/99/I/6/1 New Delhi, dated) 9 .02.2009 Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi. For Financial Commissioner, Railways No. PC-V/99/I/6/1 New Delhi, dated 19.02.2009 Copy forwarded to :-1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares) 2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares) 3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares) 4) The Secretary General FROA 5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association 6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association 7) The Secretary General, IRPOF 8) The Secretary General, All India RPF Association 9) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association 10) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association 11) Railway Board Promottee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan. for Secretary, Railway Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI/\_ 8 € सं. पी सी-V/99/I/6/1 आरबीई सं.<u>37</u>/2009 नई दिल्ली, दिनांक 19.02.2009

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, (मानक सूची के अनुसार)

> विषयः 70/- रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन प्राप्त कर रहे हैंड क्लर्क जिन्हें पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर हैड क्लर्कों के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था और 01.01.1996 से 5000-8000 के समान वेतनमान में रखा गया था, का विरुष्ठ क्लर्कों के समतुल्य स्टैपिंग अप।

बोर्ड के 17.08.1998 के पत्र के जारी होने के अनुसरण में, एक विसंगति उत्पन्न हुई थी जिसमें वे विरष्ठ क्लर्क जो विशेष वेतन प्राप्त कर रहे थे और 01.01.1996 से पहले हैंड क्लर्कों के रूप में पदोन्नत कर दिए गए थे, को विशेष वेतन प्राप्त करने वाले उन विरष्ठ क्लर्कों जिन्हें 01.01.1996 के बाद हैड क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, की तुलना में 01.01.1996 को एक निचले स्तर पर निर्धारित किया गया था।

- 2. उपर्युक्त के महेनज़र, बोर्ड कार्यालय में मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि आरएसआद्वा नियम 1997 के नियम 8 के नीचे नोट 1 के अनुसार हैड क्लर्कों (ग्रेड 1400-2300 रुपए) के वेतन को 70/- रुपए का विशेष वेतन प्राप्त कर रहे वरिष्ठ क्लर्कों (ग्रेड 1200-2040 रुपए) जिन्हें पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर हैड क्लर्कों के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था और जिन्हें 01.01.1996 से 5000-8000 के समान वेतन में रखा गया था, के समतुल्य स्टैप्ड अप किया जाए। वेतन के स्टैपिंग अप का लाभ जहां भी ग्राह्म हो, की अनुमित केवल उन मामलों में और उस तारीख से दी जाएगी जहां पदोन्नित नियमित आधार पर थी और जब से किन्छ कर्मचारी ने अपने विरिष्ठ से अधिक वेतन आहरित करना शुरू किया हो।
- 3. इन मामलों में, वेतन का स्टैपिंग अप स्वाभाविक सिद्धांतों अर्थात् (i) वरिष्ठ और किनष्ठ दोनों कर्मचारी निचली और उच्चतर पदों में समान संवर्गों से संबंधित थे और दोनों पदों में उनके वेतनमान भी समान थे; (ii) वरिष्ठ कर्मचारी निचले पद में किनष्ठ से समान या अधिक वेतन आहरित कर रहे थे; (iii) वरिष्ठ कर्मचारी की अपने किनष्ठ से पहले पदोन्नित हो गई; और (iv) ऐसे किसी वरिष्ठ की अगली वेतनवृद्धि वेतन के पुनिर्धारण की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा के पूरा होने पर आहरित की जाएगी।

FBIANCE-PC

इसके अतिरिक्त बेतन के स्टैपिंग अप को निम्नलिखित मामलों में अनुपति नहीं दी जाएगी: (क) यहां एक कर्मचारी चाह यह बार हो, को विशेष वेतन बाले विराध क्लका के चिन्हित पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है; (ख) जहां वरिष्ठ कर्मचारी ने तैनाती/नियुक्ति स्वीकार करने से इंकार कर दिया था अथवा किन्हीं भी कारणों से चिन्हित पदाँ पर कनिष्ठ से बाद की तारीख में नियुक्त किया गया था जिससे वह किनष्ठ से कम वेतन आहरित कर रहा हो, ऐसे मामलों में वरिष्ठ कर्मचारी किनष्ठ के समान वेतन के स्टैपिंग का दावा नहीं कर सकता: (ग) जहां कोई कर्मचारी उस समय जब उसके कनिष्ठ को चिन्हित पद पर नियुक्त किया गया था. तब संवर्ग से बाहर था; (घ) जहां एक वरिष्ठ असाधारण छुट्टी पर गया हो जिसके परिणामस्वरूप निचले पद में अगली बेतनवृद्धि की तारीख आगे बढ़ गई हो, परिणामतः उसने निचले ग्रेड में ही अपने कनिप्ट से कम वेतन आहरित करना शुरू कर दिया हो। इसलिए, वह पदोन्नति पर वेतन समानता का दावा नहीं कर सकता; (ड.) जहां कर्मचारी विशेष वेतन वाले चिन्टित पद हेत् पात्र होने से पहले ही अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./खेलकृद आदि के लिए आरक्षित कोट में हैड क्लर्क के पद पर पदोन्नत दार दिया गया हो; (च) जहां कांनष्ठ उच्चतर अहंताओं पर या खेलकूद के आधार पर आर्जित आंतिरिक्त वेतनवृद्धियों के कारण अधिक वेतन ले रहा हो; और (छ) जहां कोई वरिष्ठ निचले पद में ही कनिष्ठ से बाद नियुक्त किया गया था जिससे वह कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त कर रहा हो, इन मामलों में भी, उसके उच्चतर पद में पहले पदोन्नत होने एर भी तरिष्ठ उच्चतर पद में समानता दा तावा नहीं कर सकता। (एन.पी. सिंह) उप निदेशक, वेतन आयोग-V रेलवे बोर्ड